भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4047 का उत्तर

नेमोम (तिरुवनंतपुरम दक्षिण) टर्मिनल का विकास

4047. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में नेमोम (तिरुवनंतपुरम दक्षिण) टर्मिनल परियोजना के विकास कार्यों संबंधी मास्टर प्लान की समीक्षा की है, ताकि बिना किसी और देरी के लंबित चरणों के कार्यों में तेजी लाई जाए;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत पूरे किए गए स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस परियोजना के दूसरे और तीसरे चरणों को एक साथ क्रियान्वित करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तैयार की गई योजना और अनुमोदन की स्थिति क्या है; और

(च) क्या इस टर्मिनल को पूर्ण विकसित के रूप में विकसित करने के लिए तत्काल उपाय किए जाएंगे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): दक्षिण रेलवे द्वारा नवंबर, 2019 में प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार अप्रैल, 2023 में 116.57 करोड़ रुपए की लागत पर 'नेमोम कोचिंग टर्मिनल' का कार्य स्वीकृत किया गया है। इसमें 2 पिट लाइन, 4 स्टेबलिंग लाइन, 4 प्लेटफॉर्म, सर्विस विल्डिंग और पहुंच मार्ग का निर्माण शामिल है।

1 पिट लाइन, मिट्टी संबंधी कार्य और स्टेबलिंग लाइनों के ब्लैंकेटिंग कार्य के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। पिट लाइन, स्टेबलिंग लाइन, प्लेटफॉर्म, स्टेशन भवन, पहुंच मार्ग आदि के शेष कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

इसके अलावा, नेमोम कोचिंग टर्मिनल के चरण-II के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

कोचिंग टर्मिनलों/कोचिंग अनुरक्षण डिपुओं को प्रत्याशित यात्री संख्या, यातायात रुझान, परिचालनिक और अनुरक्षण आवश्यकताओं और भावी विकास संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर नियोजित और निष्पादित किया जाता है।

केरलम:-

रेल बजट:-

हाल के वर्षों में बजट आबंटन में काफी वृद्धि हुई है। केरलम राज्य में पूर्णतः/अंशतः रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	372 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2026-27	3,795 करोड़ रुपए (10 गुना से अधिक)

स्वीकृत परियोजनाएं:-

दिनांक 01.04.2026 की स्थिति के अनुसार, केरलम में पूर्णतः/अंशतः रूप से पड़ने वाली 11,650 करोड़ रु. की लागत पर 302 किलोमीटर लंबाई की 09 परियोजनाओं (03 नई लाइन और 06 दोहरीकरण) को स्वीकृति दी गई हैं। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2026 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2026 तक कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	03	148	0	317
दोहरीकरण/बहुपथन	06	154	40	3,550
कुल	09	302	40	3,867

हाल ही में पूरी की गई परियोजनाएं

केरलम राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	डिंडीगुल - पालघाट और पोलाची - कोयंबटूर आमान परिवर्तन (217 कि.मी.)	1,360
2	कोल्लम-तिरुचेंदुर आमान परिवर्तन (357 कि.मी.)	1,122
3	मुलांटुरुट्टी-कुरुप्पनतरा दोहरीकरण (24 कि.मी.)	303
4	चेंगन्नुर-चिंगवनाम दोहरीकरण (27 कि.मी.)	436
5	अम्बलप्पुष्पा-हरिपद दोहरीकरण (18 कि.मी.)	346
6	कूरूप्पनतरा-चिंगावनम दोहरीकरण (27 कि.मी.)	749

चालू परियोजनाएं:-

केरलम राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं जिन्हें निम्नानुसार शुरू किया गया है हैं:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	अंगमाली-सबरीमाला नई लाइन (111 कि.मी.)	3,801
2	एर्नाकुलम-कुंबलम दोहरीकरण (8 कि.मी.)	808
3	कुंबलम - तुरवूर दोहरीकरण (16 कि.मी.)	1,172
4	त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी दोहरीकरण (87 कि.मी.)	4,494
5	अलप्पुझा-अम्बलप्पुष्पा दोहरीकरण (13 कि.मी.)	324
6	तुरवुर - मरारिकुलम दोहरीकरण (21 कि.मी.)	451
7	मारारिकुलम-अलप्पुझा दोहरीकरण (11 कि.मी.)	221

केरलम राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। केरलम राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

केरलम में परियोजनाओं के लिए आवश्यक कुल भूमि	618 हेक्टेयर
अधिगृहीत की गई भूमि	78 हेक्टेयर (13%)
अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि	540 हेक्टेयर (87%)

रेलवे द्वारा केरलम सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए 1,976 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे। भूमि अधिग्रहण कार्यों में तेजी लाने के लिए केरलम सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल आवश्यक भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	अंगमाली - सबरीमाला नई लाइन (111 कि.मी.)	304	25	279
2.	एर्नाकुलम - कुंबलम कहीं कहीं दोहरीकरण (8 कि.मी.)	4	3	1
3.	कुंबलम - तुरवुर कहीं-कहीं दोहरीकरण (16 कि.मी.)	10	9	1
4.	शोरानूर - वल्लाथोल दोहरीकरण (10 कि.मी.)	5	0	5

<u>ऊपरी सड़क पुल (आरओबी)/निचले सड़क पुल (आरयूबी) :</u>

01.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार, केरलम राज्य में 4,786 करोड़ रुपए की लागत पर 145 ऊपरी/निचले सड़क पुल के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

कुल 52 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों का कार्य राज्य सरकार के कारण विलंबित है। विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कारण	आरओबी/आरयूबी (अदद में)
1.	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलंब	34
2.	राज्य सरकार द्वारा संरेखण को अंतिम रुप देना	13
3.	अभी तक एजेंसी का निर्धारण नहीं हुआ है	5

किसी भी ऊपरी/निचले सड़क पुल के निर्माण कार्यों का पूरा होना और उनकी कमीशनिंग करना समपार को बंद करने में सहमति देने के लिए राज्य सरकार का सहयोग, पहुंच मार्ग का संरेखण निर्धारित करना, सामान्य आरेखण व्यवस्था (जीएडी) का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक

स्वीकृतियां, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु संबंधी परिस्थितियों आदि के कारण विशिष्ट परियोजना/क्षेत्र के लिए वर्ष में कार्य करने की अवधि आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्य की गति को तेज करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

ii. ऊपरी/निचले सड़क पुल निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे और राज्य सरकार के पदधारियों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iii. डिजाइन अनुमोदन के दौरान देरी से बचने के लिए रेलवे के हिस्से पर विभिन्न स्पैन के संयोजनों, तिरछापन और सड़क की चौड़ाई के लिए अधिसंरचना और उपसंरचना रेखाचित्रों का मानकीकरण किया गया है। इसे एक सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के शीघ्र नियोजन के लिए सीधे अपनाया जा सकता है।

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, बहरहाल इसकी सफलता केरलम सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

किसी भी रेल परियोजना की मंजूरी कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्याशित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई प्रथम और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गईं मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण**
- **वन संबंधी स्वीकृति**
- **अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण**
- **विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ**
- **क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति**
- **परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।**

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।
